तारीख हुक्म	
5/5/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीनी हाजिर। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाने कोई हाजिर नहीं आया। बावजूद आवाजें दिलाने के प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीनी से पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल रेकर्ड हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible] संख्याः 231/2022

प्रार्थीगण :–
1. लाभूदेवी पत्नी ताजाराम
   जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. रेशी पत्नी ईसा
2. अमरा खां पुत्र शरीफ
3. राजा खां पुत्र शरीफ
4. मिसरी खां पुत्र शरीफ
5. साकर पुत्र आदम
6. होती पुत्र आदम
7. मतू पुत्र भेरा
   जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433/5 रकबा 1.0765 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने [illegible] प्रार्थीगण अपनी भूमि [illegible] बन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में [illegible] भूमि की सीमाज्ञान कर[illegible] नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433/5 रकबा 1.0765 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested